न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 25/2018
प्रविष्टि दिनांक 12.02.2018

1–काशीराम पुत्र रंगलाल जाति जाट निवासी रहीमपुरा उर्फ धोलीतलाई तहसील टोंक
2–रामजीवन पुत्र रंगलाल जाति जाट निवासी रहीमपुरा उर्फ धोलीतलाई तहसील टोंक
3–हनुमान पुत्र छीतर जाति जाट निवासी रहीमपुरा उर्फ धोलीतलाई तहसील टोंक
4–राजू पुत्र छीतर जाति जाट निवासी रहीमपुरा उर्फ धोलीतलाई तहसील टोंक
5–कमलेश पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी रहीमपुरा उर्फ धोलीतलाई तहसील टोंक

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–घासी पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी रहीमपुरा उर्फ धोलीतलाई तहसील टोंक
2–तहसीलदार निवाई जिला टोंक

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद निर्णय न्यायालय तहसीलदार टोंक दिनाक 28.12.2017

उपस्थिति : (1) श्री शिवराज चांगल,अभिभाषक अपीलान्ट्स
(2) श्री योगेश व्यास,अभिभाषक रेस्पोडेंण्ट्स संख्या–1

निर्णय **दिनांक 28.02.2018**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 28.12.2017 द्वारा अपीलाण्ट्स को आराजी खसरा नंबर 67 रकबा 11 बिस्वा वाके ग्राम रहीमपुरा उर्फ धोलीतलाई पर अपीलाण्ट्स का नाजायज कब्जा मानकर राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत बेदखल करने का तथा लगान के 50 गुणा राशि शास्ति से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिये सम्मन की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गयी। बहस अभिभाषकगण सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो,साक्ष्य तथा जवाब का गहनता पूर्वक अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन आबादी है जो आबादी भूमि के पास स्थित है। उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा सी.सी.रोड का निर्माण करवाया गया तब भी रेस्पोडेण्ट ने कोई आपत्ति नही की। आबादी भूमि के संबंध मे सुनवाई का अधिकार तहसीदार टोंक को नही है।उक्त भूमि मे ग्राम पंचायत चन्दलाई द्वारा दिनांक 10.02.1968 को 77 वर्गगज का 62 रूपये शुल्क प्राप्त कर पट्टा जारी किया गया हैं। विवादित भूमि पर अपीलांट्स के पिता रंगलाल काबिज रहा है तथा वर्तमान मे अपीलांट्स काबिज चले आ रहे है। खसरा नम्बर 67 के साबिक ख0न0 62 थे जिस पर सम्वंत 2022 मे अपीलांट्स के दादाजी के कब्जे का उल्लेख है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 67 वर्तमान मे घासी,प्रहलाद,हरला पि0 नारायण बैरवा की खातेदारी मे दर्ज है,परन्तु अधीनस्थ न्यायालय मे आवेदन अकेले घासी द्वारा ही पेश किया गया है। जबकि आवेदन मे हरला व प्रहलाद

जिला कलेक्टर टोंक

भी आवश्यक पक्षकार थे। दिनांक 15.09.2017 को अपीलांट्स की अनुपस्थित मे मौका रिपोर्ट बनाई गई है। मौका रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा भी नही बनाया गया है जिसे यह पता लग सके कि कौनसी जगह ग्राम पंचायत द्वारा सी.सी.रोड का निर्माण करवाया गया और किस व्यक्ति का कहां कब्जा है। अपीलांट्स को निर्णय पारित करने से पूर्व सुनवाई,साक्ष्य व समुचित पेरवी का अवसर प्रदान नही किया गया है। आवेदक द्वारा 50 वर्ष बाद आवेदन पेश किया है जो मियाद बाहर है। अपीलांट इस भूमि पर अतिक्रमि की हैसियत से काबिज ना होकर अपने पिता व दादा से प्राप्त आबादी भूमि पर मालिक की हैसियत से काबिज है जिनको इस प्रकार बेदखल नही किया जा सकता है।अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स ने जवाबी बहस मे कथन किया कि ख0नं0 67 रकबा 11 बिस्वा भूमि वाके ग्राम रहीमपुरा उर्फ धोलीतलाई तहसील टोंक रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की भूमि है।उक्त आराजीयात पर अपीलाण्ट्स ने कुछ वर्षो से गोबर की रेवडी व कांटो की बाड लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांण्ट्स का अनाधिकृत कब्जा होने के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को बेदखल कर शास्ति कायम की गई है। अपीलांट्स के दादा का खसरा भू–प्रबंध विभाग सम्वंत 2022 मे जो कब्जा दर्ज किया गया है वह अवैधानिक तथा अतिचारी की हैसियत से है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांण्ट्स को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात ही निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली,दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल जमाबंदी वाके ग्राम रहीमपुरा उर्फ धोलीतलाई तहसील टोंक मे ख0नं0 67 रकबा 11 बिस्वा गै0मु0 बाडा भूमि हरला,घासी,प्रहलाद पि.नारायण कोम बैरवा निवासी रहीमपुरा उर्फ धोलीतलाई तहसील टोंक की खातेदारी मे दर्ज है। अभिभाषक अपीलाण्ट्स का कथन है कि अपीलाण्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है,परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाण्ट्स ने जरिये अभिभाषकगण प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया है। खसरा भू–प्रबंध विभाग सम्वंत 2022 मे नानूलाल पुत्र रधुनाथ जाट का कब्जा दर्ज है, उक्त अवैधानिक कब्जे के आधार पर अपीलांट्स के अधिकार सृजित नही होते है। सरपंच ग्राम पंचायत चन्दलाई द्वारा दिनांक 10.02.1968 को रंगलाल पुत्र माधो जाट निवासी रहीमपुरा के नाम जो 77 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया है। पटटे में खसरा नम्बर का उल्लेख नही है जिससे यह सिद्व नही है कि उक्त पट्टा प्रश्नगत भूमि का जारी किया गया हो। अभिभाषक अपीलाण्ट्स का यह भी तर्क है कि उक्त भूमि गैर मुमकिन आबादी है परन्तु इसकी ताईद में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। उपरोक्त विवेचन से सिद्व है कि रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की 11 बिस्वा भूमि पर अपीलाण्ट्स का अनाधिकृत रूप से कब्जा काश्त है जो राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत अतिचारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार की जाकर तहसीलदार टोंक का निर्णय दिनांक 28.12.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक